न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/347

1. तेजमल सुमन पुत्र श्री रामदयाल आयु 45 वर्ष जाति माली
2. सत्यनारायण सुमन पुत्र रामदयाल आयु 48 वर्ष जाति माली
3. महावीर सुमन पुत्र रामदयाल आयु 40 वर्ष जाति माली
4. दाखा बाई पत्नी रामकल्याण आयु 71 वर्ष जाति माली
5. पूजा सुमन पुत्री रामकल्याण आयु 25 वर्ष जाति माली

निवासीगण ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०) जर्ये मुख्तारआम आबिद खान पुत्र अब्दुल गफ्फार आयु 53 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ए 88 अक्षरधाम कोलोनी, थेगडा बोरखेडा कोटा।

– अपीलांटगण

बनाम

1. छोटूलाल आत्मज लालू जाति माली निवासी मन्ना कोलोनी होली का चौक, यासीन भाई के मकान के पास, बोरखेडा कोटा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–

1. श्री बृजबिहारी गोचर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री अशोक मीणा, अभिभाषक रेस्पो0 1 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 09.04.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 31/2024 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया है जिसमे सफलता की पूर्ण आशा है। ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या नया 31 पुराना 25 की खसरा संख्या 16 रकबा 44 बीघा

11 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार लालूजी जाति माली के खाते दर्ज रिकार्ड थी जो बाद सेटलमेन्ट 2038–57 के पश्चात नये खसरा नं0 48 बनाये गये। जो वर्तमान मे खसरा नं0 48 रकबा 1.23 हेक्टर एवं खसरा नं0 50/272 रकबा 0.47 हेक्टर स्थित है। लालूजी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी ने लालूजी की पुत्रियो जिसमे रामो बाई व केसर बाई के जीवित वारिसान के तथ्य को छिपाकर मात्र रामपाल, छोटू व रामगोपाल के नाम फोती इन्तकाल तस्दीक करवा लिया। इस कारण केसर बाई व रामो बाई का नाम दर्ज रिकार्ड होने से रह गया। चूंकि केसर बाई अपने भाईयो पर पूर्ण विश्वास करती थी इसलिये उसने कभी राजस्व रिकार्ड को जानने की कोशिश नहीं की तथा केसर बाई के हिस्से की कृषि भूमि पर प्रतिवादी रामगोपाल व छोटू ही काश्त करते रहे एवं केसर बाई को मुनाफा देते रहे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में केसर बाई का 1/5 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण स्व० लालूजी के जीवित उत्तराधिकारी है इस कारण वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/5 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार बंटवारा करने के लिये कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा बटवारा नही किया गया तथा दिनांक 18.06. 2023 को जब प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बटवारा करने के लिये कहा गया तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि खातेदारी मे प्रतिवादी का नाम ही है इस कारण वे पूरी जमीन को बेच देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि को प्रोपर्टी डीलर के माध्यम से बेचान करने का प्रयास किया जा रहा है तथा वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है इस कारण दौराने वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 48 एवं खसरा संख्या 50/272 ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अंत में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 48 एवं खसरा संख्या 50/272 ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.12.2024 को प्रार्थी अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट 1 के विद्वान अधिवक्ता तथा से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय में विधारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त आदेश के तहत विचारण न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसके साथ अपीलान्ट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी प्रस्तुत किया जिसे माननीय विचारण न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया है। उक्त वाद मे अपीलान्ट्स द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 16 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 48 रकबा 1.23 हेक्टर तथा खसरा नं0 50/272 रकबा 0.47 हेक्टर कृषि भूमि जो कि अपीलान्ट्स के पिता एवं रेस्पोडेन्ट कम । के पिता श्री लालू जी माली के खाते व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि स्थित थी। लालू जी माली की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि का फोती नामान्तकरण अपीलान्ट्स एंव रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु रेस्पोडेन्ट कम । तथा मृतक रामपाल एवं रामगोपाल के द्वारा अपीलान्ट्स की माता के जीवित होने के तथ्य को छिपाकर रेस्पोडेन्ट्स ने स्वयं के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया, इस कारण अपीलान्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है जो अभी अनुसंधान के अधीन है। विचारण न्यायालय ने हिन्दू विधि में दी गई हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को समझे बिना मात्र फोरी तौर पर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। हिन्दू विधि में एचयूएफ अर्थात अविभक्त हिन्दू परिवार की व्याख्या की गई है। इसका गठन व्यवसायिक आशय से किया जाता है इसके लिये आपस मे किसी भी तरह की लिखित संविदा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हिन्दू परिवार में जन्म लेना ही पर्याप्त होता है। एचयूएफ अपने आप में विधिक व्यक्ति है। एचयूएफ के फण्ड से खरीदी गई समस्त सम्पत्ति एचयूएफ की सम्पत्ति मानी जाती है मेल ही वह कर्ता अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो। हिन्दू अविभक्त परिवार में कर्ता के अतिरिक्त सभी सदस्य सह दायिक (को पार्सनर) होते है तथा हिन्दू अविभक्त परिवार की समस्त सम्पत्ति मे सभी सहदायिको का अधिकार होता है। हिन्दू

अविभक्त परिवार(एच.यू.एफ.) मे यदि कर्ता अथवा अन्य सहदायिक की मृत्यु भी हो जाती है तो एच.यू.एफ. समाप्त नही होता उसे अन्य सदस्य द्वारा जारी रखा जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में भी अपीलान्ट्स के संयुक्त अविभक्त परिवार में लालू जी माली कर्ता के रूप मे थे तथा अपीलान्ट्स सहदायिक थे तथा उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट्स तथा सभी सहदायिको का हित व अधिकार निहित था किन्तु कर्ता श्री लालू जी माली की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं मृतक रामगोपाल व रामपाल ने अपीलान्ट्स की जानकारी के बिना फोती इन्तकाल स्वयं के पक्ष मे खुलाकर परिवार की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने में लग गये तथा कृषि भूमि का एक बहुत बडा हिस्से विकय भी कर दिया तथा उपरोक्त कृषि भूमि मे से मात्र खसरा संख्या 50/272 की 0.47 हेक्टर भूमि शेष बची है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्टस को ऐसा करने से निषेध करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया जो नितान्त गलत है। विचारण न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट को कृषि भूमि खुर्द बुर्द करने से नहीं रोका गया तो अपीलान्ट्स का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जायेगा। न्यायालय इस बात पर भी विचार नहीं किया कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण रेस्पोडेन्ट को कृषि भूमि का कोई भी हिस्सा विक्रय करने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है। नामान्तरण एक फिस्कल प्रोसेडिंग है तथा नामान्तकरण से स्वमित्व के अधिकार तय नहीं होते है इस बात की जानकारी होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे की मौके पर स्थिति को नजर अंदाज कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर यिा जो नितान्त गलत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिराजुद्दीन बनाम अब्दुल गफ्फार व अन्य के मामले मे सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर उभय पक्षकारान को अवरूद्ध करते हुये यथास्थिति के आदेश को न्याय संगत माना है। राजस्व मण्डल राजस्थान मे गोगाजी व अन्य के मामले में सिद्धान्त दिया है कि प्रथम दृष्टया मामले बनने पर अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स का कब्जा वादग्रस्त कृषि भूमि पर विद्यमान है तथा उक्त कृषि भूमि (एच.यू.एफ.) की है त्था अविभाजित है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलान्ट्स के पक्ष में होने से अधिनस्थ न्यायालय के आदेष को अपास्त करते हुये वादग्रस्त कृषि भूमि पर मोके एंव रिकार्ड की यथास्थिति को बनाया रखना न्यायहित मे आवश्यक है। अपीलान्ट्स का उपरोक्त कृषि भूमि बाईबर्थ राइट है तथा रेस्पोडेन्ट को उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2018 (7) एससीसी पेज 846 श्याम नारायण प्रसाद/कृष्णा प्रसाद व अन्य मे माननीय न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी हिन्दू पुरुष द्वारा अपने पिता के पिता (दादा), पिता के पिता के पिता (परदादा) से प्राप्त सम्पत्ति पेतृक सम्पत्ति है जिसमे मिताक्षरा विधि के अनुसार पुत्र पुत्री व पोत्र का हित जन्म से निहित होता है। इस प्रकार न्यायिक दृष्टांत 2015 (1) डब्ल्यूएलसी राज. पेज 448

सिराजुद्दीन उर्फ वजीर मिर्धा/अब्दुल गफ्फार व अन्य मे माननीय न्यायालय ने स्वामित्व संबंधित विवाद के आधार पर उभय पक्षो को अवरूद्ध करते हुये यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को न्याय संगत माना है। न्यायिक दृष्टांत 2014 (2) डब्ल्यूएलसी राज. पेज 39 गोगाजी व अन्य/दी बोर्ड आफ रेवेन्यू फोर राजस्थान अजमेर व अन्य में माननीय न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1ए के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर अस्थायी व्यादेश स्वीकार किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत द्वितीय अपील नं0 201/2006 मनिवन्ना गाठण्डर/पचईयप्पा तारीख निर्णय 18.10.2006 द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट, त्रिवेन्द्रम के निर्णय जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि विवादित सम्पत्ति वादी स्वयं की अलग सम्पत्ति नहीं है किन्तु वादी, प्रतिवादी व अन्य भाईयो की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसके लिये पक्षकारों के मध्य कोई मौखिक विभाजन अभिवचनो मे जाहिर नही था, साथ ही वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से बाधित मानते खारिज किया गया, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा अपीलार्थी की द्वितीय अपील यह प्रतिपादित करते हुये खारिज की कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे तर्क से विपरीत कोई तर्क नहीं पाया जाता है और ना ही हस्तगत द्वितीय अपील मे विधि का सारभूत प्रश्न ऐसे है जिसका निस्तारण किया जाना चाहिये। इस कारण स्थगन का आदेश बहाल रखा गया। न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2012 (2) राज. पेज 946 नारायण सिंह देवरा/श्री महावीर स्वामी जैन पेडी व अन्य में माननीय न्यायालय ने प्रतिपक्षी के पक्ष में विवादित सम्पत्ति के पट्टे के आधार पर निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गई, जिसके आधार पर वादी के पक्ष मे वाद भूमि का प्रथम दृष्टया अधिकार स्वत्व का हित प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। चूंकि हस्तगत प्रकरण मे उभय पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित कृषि भूमि को पैतृक भूमि होने व नही होने के आधार पर विवाद विद्यमान है। यदि उक्त विवादित भूमि को संरक्षित नही किया जाता है और विवादित सम्पत्ति का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो वाद की बाहुल्यता बढेगी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया है और प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे तय कर निर्णीत किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त विवादित कृषि भूमि के संबंध में कृषि भूमि को सुरक्षित रखने हेतु अपीलान्ट्स के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो उक्त भूमि मूल वाद में पैतृक भूमि पाई जाती है तो अपीलान्ट्स को अधिक असुविधा व अपूर्णनीय क्षति होगी। इस कारण अपीलान्ट्स के पक्ष में विवादित कृषि भूमि के रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। रस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया है कि उपरोक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा कय की गई है तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपने जवाब में स्वयं को कृषि भूमि का खातेदार बताया है किन्तु उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट कम

1 के खाते में कहां से प्राप्त हुई, इस संबंध मे रेस्पोडेन्ट कम 1 एक मौन है जो कि विवादित कृषि भूमि के पैतृक होने के तथ्य को साबित करता है। इस कारण विवादित कृषि भूमि बाबत मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2024 को अपास्त किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर मोके व रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखने हेतु आदेश पारित फरमाये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 कम 01 ने अपनी बहस मे कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी कानूनी बिन्दुओ पर विचार कर प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विचार कर ही आदेश दिंनाक 12.12.2024 पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधिक है किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है इसलिये अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। गत खसरा नम्बर 16 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की भूमि किस प्रकार से अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि रही है तथा रेस्पो० की भूमि में अपीलाण्ट के किस प्रकार हक अधिकार है स्पष्ट नही किया गया है और अपीलाण्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित वंशावली व सजरे के अनुसार भी अन्य व्यक्तियो को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एंव अपील झूठे व मनगढन्त तथ्यो पर आधारित है। अपीलाण्ट स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय में नहीं आया है और ना ही अपील मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड के अनुसार साबित करने मे पूर्ण रूप से असफल रहा है इसलिये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 52/252 की रकबा 0.47 है० नहरी प्रथम वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नयानोहरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जो कि रेस्पो० की रिकॉर्डेड खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिस पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा है तथा खसरा नम्बर 48 की 1.23 है० भूमि वाके ग्राम नयानोहरा जिला कोटा में स्थित है जो कि वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा की खातेदारी मे दर्ज है। किन्तु फिर भी अपीलाण्ट के द्वारा नगर विकास न्यास कोटा को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि रिकोर्डेड खातेदार आवश्यक व उचित पक्षकार होने से पक्षकारा बनाया जाना आवश्यक है। इसलिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व अपील अपीलाण्ट पक्षकारो के असंयोजन के दोष से कारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा अपील विषयक भूमि को पुश्तैनी भूमि बताकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं प्रस्तुत अपील मे भी अपीलाण्ट के द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी मे व प्लीडिंग से स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त भूमि किस प्रकार से पुश्तैनी भूमि है और उक्त भूमि में किसी प्रकार से अपीलाण्ट हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है स्पष्ट नहीं किया गया है इसलिये अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील में

अपीलाण्ट के द्वारा लालू जी के पारिवारिक सजरा व वंशावली का त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से रेस्पोडेण्ट कम 1 की भूमि के संबध मे अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है इसलिये अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु साबित करने मे असफल रहे इसलिये माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। जो कि कानून सम्मत है इसलिये अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई भी ऐसा तथ्य वर्णित नहीं किया गया है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण है इसलिये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एंव प्रार्थना पत्र में अन्य व्यक्ति से दुरभि संधि कर रेस्पो० को नुकसान पहुंचाने तथा रेस्पो० को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से विवादित कर बेदखल करने के दुराशय से पेश किया गया तथा प्रस्तुत अपील भी अपीलाण्ट के द्वारा इसी दुराशय को पूरा करने के लिये प्रस्तुत की गई है इसलिये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 कम 01 ने अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण की आरे से प्रश्नगत खसरा नम्बर 48 एवं खसरा नम्बर 50/272 वाके ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा के मोके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 31 की खसरा संख्या 50/272 रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि छोटूलाल पुत्र लालू की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 19.06.2023 के अनुसार खसरा सख्या 48 रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि छोटूलाल पुत्र लालू की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि पर अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त होना माना जाता है। अपीलांटगण ना तो वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है और ना ही अपीलांटगण की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो। चूंकि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के सम्बंध में कोई विपरीत तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निहित

है। हमारे मत में अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.12.2024 में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 31/2024 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/4/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा